भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1998
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं

1998 श्री हर्ष महाजनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश भर में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और फ़िशिंग से संबंधित घटनाओं, की जानकारी है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किये गये ऐसे साइबर अपराध मामलों की संख्या कितनी है तथा हिमाचल प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) साइबर अपराध अवसंरचना को मजबूत करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और
(घ) क्या सरकार नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए की नया जन जागरूकता अभियान या डिजिटल साक्षरता पहल शुरू करने का विचार रखती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2023 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I एवं II में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत

अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। दिनाँक 31.10.2025 तक 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में 7,130 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. दिनाँक 31.10.2025, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1998, दिनांक 17.12.2025

vi. गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा खतरों, साइबर जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग और इसी तरह की चिंताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 22.01.2025 को MAC (मल्टी एजेंसी सेंटर) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत CyMAC (साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर) का गठन किया है।

vii. सर्ट-इन सतत आधार पर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की रक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

viii. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) देश में साइबर स्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए साइबर स्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

ix. सर्ट-इन मेलिसियस प्रोग्रामों का पता लगाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) को संचालित करता है और इन्हें हटाने के लिए टूल्स निःशुल्क मुहैया कराता है तथा नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

x. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

xi. आई4सी के तहत मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए बहु-न्यायिक मुद्दों वाले साइबर अपराध हॉटस्पॉट/क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करती हैं।

xii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। दिनाँक 31.10.2025, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,952 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच), नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

xiii. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

xiv. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनाँक 31.10.2025 तक, बैंकों से प्राप्त 18.43 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 24.67 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 8031.56 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गयाहै।

xv. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xvi. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी**,** नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान**:** आई4सी ने दूरसंचार विभाग **(**डीओटी**)** के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं **(**टीएसपी**)** द्वारा अंग्रेजी**,** हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित

किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।

4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

5) डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, आई4सी ने 19 जुलाई 2025 से 52 सप्ताह के लिए साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।

6) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-I

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1998 दिनांक 17.12.2025

वर्ष 2021-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	**अपराध शीर्ष**	**2021**	**2022**	**2023**
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना	55	65	71
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	19915	23894	35329
3	साइबर आतंकवाद	15	12	11
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	6598	6896	7893
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	2	1	1
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच/पहुंचने का प्रयास	3	1	1
7	अपराध करने के लिए उकसाना	7	4	0
8	अपराध करने का प्रयास	5	18	11
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं	827	1017	920
क	**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कुल अपराध**	27427	31908	44237
10	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	10	24	30
11	साइबर स्टॉकिंग / महिलाओं / बच्चों की बुलिंग	1176	1471	1305
12	डेटा चोरी	170	97	113
13	धोखाधड़ी	14007	17470	19466
14	बेईमानी करना	6343	10509	16943
15	जालसाजी	198	224	444
16	डिफेमेशन/मॉर्फिंग	31	61	36
17	नकली प्रोफाइल	123	157	225
18	कॉउंटरफीटिंग	2	2	0
19	साइबर ब्लैकमेलिंग/थ्रेटनिंग	689	696	689
20	सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार	179	230	209
21	अन्य अपराध	2456	2857	2389
ख	**भारतीय दंड संहिता के तहत कुल अपराध**	25384	33798	41849
22	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	27	37	87
23	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	4	6	0
24	कॉपी राइट एक्ट	32	27	23
25	ट्रेड मार्क एक्ट	1	14	1
26	अन्य एसएलएल अपराध	99	103	223
ग	**एसएलएल के तहत कुल अपराध**	163	187	334
	कुल साइबर अपराध	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1998 दिनांक 17.12.2025

वर्ष 2021-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	1875	2341	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	47	14	24
3	असम	4846	1733	909
4	बिहार	1413	1621	4450
5	छत्तीसगढ़	352	439	473
6	गोवा	36	90	86
7	गुजरात	1536	1417	1995
8	हरियाणा	622	681	751
9	हिमाचल प्रदेश	70	77	127
10	झारखंड	953	967	1079
11	कर्नाटक	8136	12556	21889
12	केरल	626	773	3295
13	मध्य प्रदेश	589	826	685
14	महाराष्ट्र	5562	8249	8103
15	मणिपुर	67	18	3
16	मेघालय	107	75	64
17	मिजोरम	30	1	31
18	नागालैंड	8	4	2
19	ओडिशा	2037	1983	2348
20	पंजाब	551	697	511
21	राजस्थान	1504	1833	2435
22	सिक्किम	0	26	12
23	तमिलनाडु	1076	2082	4121
24	तेलंगाना	10303	15297	18236
25	त्रिपुरा	24	30	36
26	उत्तर प्रदेश	8829	10117	10794
27	उत्तराखण्ड	718	559	494
28	पश्चिम बंगाल	513	401	309
	कुल राज्य	**52430**	**64907**	**85603**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	28	47
30	चंडीगढ़	15	27	23
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	5	6
32	दिल्ली	356	685	407
33	जम्मू और कश्मीर	154	173	185
34	लद्दाख	5	3	1
35	लक्षद्वीप	1	1	1
36	पुडुचेरी	0	64	147
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**544**	**986**	**817**
	कुल (अखिल भारत)	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।